

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4126

दिनांक 25 मार्च, 2025/ 4 चैत्र, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं

4126. श्री महेश कश्यप:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देशभर में डिजिटल अरेस्ट की कुल कितनी घटनाएं हुई हैं;

(ख) छत्तीसगढ़ के कुल कितने लोग डिजिटल अरेस्ट के कारण धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा डिजिटल अरेस्ट से संबंधित अपराधों को न होने देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) से (ग) : भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के माध्यम से साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों समेत अपराधों की रोकथाम करने, उनका पता लगाने, जाँच करने और अभियोजन चलाने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार, राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के क्षमता संवर्धन के लिए उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों में एडवाइजरी और विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता के माध्यम से सहायता प्रदान करती है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपराधों से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़ों को अपने प्रकाशन 'क्राइम-इन-इंडिया' में संकलित और प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2022 की है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों के संबंध में विशिष्ट आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं।

केंद्र सरकार ने डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों समेत साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित ढंग से निपटने हेतु तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- i. गृह मंत्रालय ने देश में सभी प्रकार के साइबर अपराधों से समन्वित और व्यापक ढंग से निपटने के लिए एक संबद्ध कार्यालय के रूप में 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' (आई4सी) स्थापित किया है।

- ii. केंद्र सरकार ने डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों पर एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, अखबार में विज्ञापन, दिल्ली मेट्रो में उदघोषणा, विशेष पोस्ट बनाने के लिए सोशल मीडिया प्रभावकारी व्यक्तियों (Influencers) का उपयोग, प्रसार भारती और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अभियान, आकाशवाणी पर विशेष कार्यक्रम और दिनांक 27.11.2024 को कनॉट प्लेस, नई दिल्ली में राहगिरी समारोह में भागीदारी आदि शामिल हैं।
- iii. माननीय प्रधान मंत्री जी ने 27.10.2024 को "मन की बात" के दौरान डिजिटल गिरफ्तारी के बारे में बात की और भारत के नागरिकों को अवगत कराया।
- iv. आई4सी ने दूरसंचार विभाग (डीओटी) के सहयोग से साइबर अपराध के बारे में जागरूकता बढ़ाने और साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 और 'राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल' (एनसीआरपी) को बढ़ावा देने के लिए एक कॉलर ट्यून अभियान शुरू किया है। टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा दिन में 7-8 बार कॉलर ट्यून का प्रसारण क्षेत्रीय भाषाओं में भी किया जा रहा है।
- v. आई4सी ने डिजिटल गिरफ्तारी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 3,962 से अधिक स्काइप आईडी और 83,668 व्हाट्सएप खातों की सक्रिय रूप से पहचान की और उन्हें ब्लॉक कर दिया।
- vi. केंद्र सरकार ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पुलिस, एनसीबी, सीबीआई, आरबीआई और अन्य विधि प्रवर्तन एजेंसियों का छद्म भेष धारण करने वाले साइबर अपराधियों द्वारा 'ब्लैकमेल' और 'डिजिटल गिरफ्तारी' की घटनाओं के खिलाफ अलर्ट पर एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित की है।
- vii. केंद्र सरकार और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) ने एक ऐसी प्रणाली तैयार की है, जिसके तहत ऐसी फर्जी अंतर्राष्ट्रीय कॉलों की पहचान की जा सकेगी और उन्हें ब्लॉक किया जा सकेगा, जिनमें भारतीय मोबाइल नंबर प्रदर्शित होता है और जो भारत से आती हुई प्रतीत होती हैं। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को ऐसी आने वाली अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉलों को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
- viii. दिनांक 28.02.2025 तक, पुलिस अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट किए गए 7.81 लाख से अधिक सिम कार्ड और 2,08,469 आईएमईआई को भारत सरकार ने ब्लॉक कर दिया है।
- ix. महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराधों पर विशेष बल देते हुए, सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित घटनाओं की सूचना देने में जनता को समर्थ बनाने हेतु आई4सी के भाग के रूप में 'राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल' (<https://cybercrime.gov.in>) शुरू किया गया है। इस पोर्टल पर

- सूचित की गई साइबर अपराध की घटनाओं, उन्हें एफआईआर में बदलने और उन पर आगे कार्रवाई से जुड़े कार्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की संबंधित विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कानून के प्रावधानों के अनुसार किए जाते हैं।
- x. वित्तीय धोखाधड़ियों की तत्काल सूचना देने और धोखाधड़ी करने वालों के द्वारा निधियों की चोरी को रोकने के लिए वर्ष 2021 में आई4सी के तहत 'नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली' शुरू की गई है। अब तक 13.36 लाख से अधिक शिकायतों में 4,386 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को बचाया गया है। साइबर शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने में सहायता प्राप्त करने के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नम्बर '1930' शुरू किया गया है।
- xi. केंद्र सरकार ने साइबर अपराध के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ एसएमएस, आई4सी सोशल मीडिया अकाउंट जैसे कि एक्स (पूर्व में ट्विटर) (@CyberDost), फेसबुक (CyberDostI4C), इंस्टाग्राम (cyberDostI4C), टेलीग्राम (cyberdosti4c), रेडियो कैम्पेन के माध्यम से संदेश प्रसारित करना, कई माध्यमों से प्रचार हेतु माईगव का उपयोग करना, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से साइबर सुरक्षा एवं संरक्षा जागरूकता सप्ताह का आयोजन करना, किशोरों/ छात्रों के लिए हैंडबुक का प्रकाशन करना, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर डिजिटल प्रदर्शन (Displays) आदि शामिल हैं।

\*\*\*\*\*